Year:1 **Second Issue** **April-June,2012**

ANUSUCHIT JATI VANI

A Quarterly E-Magazine

Satyamev Jayte

Government of India
National Commission for Scheduled Castes
Ministry of Social Justice and Empowernment
New Delhi

ANUSUCHIT JATI VANI

A Quarterly E-Magazine of NCSC
Year:1 Second Issue April-June,2012

- Patron-in-Chief:
Dr. P. L. Punia,
Chairman,
National Commission
For Scheduled Castes

- Patron:
Dr. Shyam Agarwal,
Secretary,
National Commission
For Scheduled Castes

- Editor-in-Chief:
Mangat Ram Bali,
Consultant
National Commission
For Scheduled Castes

- Editor:
Mange Ram,
Assistant Director (OL)
National Commission
For Scheduled Castes

- Coordinator:
Arun Kumar Singh,
Section Officer,
National Commission
For Scheduled Castes

- Send your Articles/Advice to:
Editor-in-Chief
Anusuchit Jati Vani Patrika
National Commission
For Scheduled Castes
Loknayak Bhawan, New Delhi-3

Contents

1. Editorial
2. Instrument of Social Inclusion
3. Implementation of SCSP
4. NCSC – At a glance
5. Frequently Asked Questions
6. Views of Participants of XII Plan Working Group
7. Thoughts
8. अनुसूचित जाति विकास
9. गांधी जी का सामाजिक चिंतन
10. मेरा आसमान (कविता)
11. हंसना जरूरी है
12. संत रविदास - एक प्रेरणा-ोत व्यक्ति
13. अनमोल वचन
14. दलितोद्धार आन्दोलन
15. क्या आप जानते हैं
16. भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के संबंध में विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुरक्षण
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सचिवालय

Editorial

Scheduled Castes have been subjected to various kinds of social discrimination and economic deprivation through the ages. At present, above 50% scheduled castes are living under below poverty line and work as bonded labors or landless laborers and sweepers. A large number of their population work as tenants. Most of them are also involved in the brick-kiln and leather work. They have been living in huts in rural areas. In rural areas, their huts are located in separate settlement outside the main village and they generally lack even basic amenities. Many live in temporary structure in the land of landlords. Land mafia grab the land on which scheduled castes set up their huts. They have few places where they can burn their dead, and many of these are illegally occupied by local feudal.

Majority of scheduled castes do not send their girls to schools fearing of unpleasant incidents with them. Most of scheduled castes do not possess national identity card, the important documents which could give some realistic figures about their status. Scheduled castes are victims of religious discrimination by upper caste. Scheduled castes are refused entry into temples by upper castes.

In view of their misery condition in the society, the framer of the Constitution made specific provisions for upliftment of downtrodden. Under the Article 338 of the Constitution, the National Commission for Scheduled Castes was constituted to monitor the condition of the scheduled castes and their socio- economic and educational development and to bring them into mainstream of the society by providing for their equitable share in the governance through the policy of reservation in elected bodies, public services and educational courses, protection against social and economic exploitation and enhanced and specific financial allocation for expediting their socio-economic development. The Commission has been given enhanced powers and responsibilities and it is also empowered to regulate its own procedure.

A large number of central ministries/departments allocate funds under SCP as per the guidelines and are required to formulate need based schemes for accelerated socio-economic development of scheduled castes. The government schemes must aim at building competence, capacity to be self reliant, capacity to compete within the general atmosphere of economic liberalization through appropriate schemes/projects. Such a capacity building will reduce the vulnerability of scheduled castes being reduced to economically weaker and weaker over the years.

The benefits, however, have not reached all SCs and a large number of them continue to be steeped in poverty and misery and subject to discrimination and atrocities by other sections of society. The development programmes need to be implemented with renewed vigor and reoriented, wherever necessary and targeted specifically on those sections among SCs who have remained deprived of the benefits of development in the past

Instrument for Social Inclusion

Indian Constitution seeks to abolish 'untouchability' and its practice in any form is forbidden. It needs to be made operational with the ostensible objective to remove humiliation and multifaceted harassments meted to the Scheduled Castes and to ensure their fundamental and socio-economic, political, and cultural rights. But despite various measures adopted the governments to improve the socio-economic conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes they remain vulnerable and are subject to various offences, indignities and humiliations and harassment. When they assert their rights and against the practice of Untouchability against them the vested interest try to cow them down and terrorize them. Atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes still continued. The normal provisions of the existing laws like, the Protection of Civil Rights Act 1955 and Indian Penal Code have been found inadequate to check these atrocities continuing the gross indignities and offences against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Recognizing these, the Parliament passed ‘Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act’, 1989 & Rules, 1995. The statement of objects and reasons appended to the Bill is that despite various measures to improve the socioeconomic conditions of Scheduled Castes & Scheduled Tribes, they remain vulnerable. They are denied a number of civil rights; they are subjected to various offences, indignities, humiliations and harassment. They have, in several brutal incidents, been deprived of their life and property. Serious atrocities are committed against them for various historical, social and economic reasons. The preamble of the Act also states that the Act is “to prevent the commission of offences of atrocities against the members of Scheduled Castes and Tribes, to provide for Special Courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offenses and for matters connected therewith or incidental thereto.”

Thus objectives of the Act clearly emphasize the intention of the Government to deliver justice to these communities through proactive efforts to enable them to live in society with dignity and self-esteem and without fear or violence or suppression from the dominant castes. The practice of untouchability, in its overt and covert form was made a cognizable and non compoundable offence, and strict punishment is provided for any such offence.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 with stringent provisions was enacted on 9 September 1989. Section 23 (1) of the Act authorizes the Central Government to frame rules for carrying out the purpose of the Act. Drawing power from this section, the Scheduled Castes and the

Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) *Rules* of 1995 were framed. The rules for the Act were notified on 31 March 1995

Implementation of SCSP

Guidelines on formulation, implementation and monitoring of SCSP have been issued by the Planning Commission from time to time. Consolidated guidelines in this regard were last issued to 62 Central Ministries/Departments in December, 2006, for the implementation from the Annual Plan, 2007-08.The 62 Central Ministries/Departments addressed as above, are,*inter alia,* required to earmark funds under SCSP/TSP from the Plan outlay, at least in proportion of percentage of SC and ST population in the country, which was 16.2% and 8.2% respectively, as per census, 2001. Funds should be earmarked for SCSP under a separate Minor Head of every ministry/department. Non-divertibility to any other scheme shold be ensured by ministry/department. There are guidelines for categorization of Outlay/Expenditure to include under SCSP which ensure direct benefits to individuals or families belonging to scheduled Castes and Outlay for area oriented schemes directly benefiting scheduled castes hamlets /villages having more than 40% scheduled Castes and Scheduled Tribes population shall be included in SCSP & TSP

A dedicated unit may be constituted in every Central Ministry/Department for the welfare and development of SCs as nodal unit for formulation and implementation of SCSP. The nodal unit should be responsible for ensuring that the funds will be allocated to the sectoral unit in the Departments to implement the schemes directly relevant for SC development.

Status of implementation of the above guidelines has remained inadequate. Hardly any Ministry is showing its SCSP/TSP outlays under a separate Budget Heads. Some Ministries are showing a notional earmarking, but the criterion followed in doing so is not uniform and transparent. Also, in the absence of this outlay being shown under a separate minor head. Such notional earmarking does not have much significance, nor is its non-divertibility ensured. In the absence of separate earmarking and budgeting of funds under SCSP/TSP by Central Ministries/Departments, it is not possible, as of now, to quantify the total amount allocated and/or spent by the Central Government under SCSP/TSP. The SCSP and TSP strategies thus remain substantially un-implemented at the level of the Central Ministries/ Departments mainly due to lack of an effective mechanism in this behalf. Some indication of Central Government allocation on schemes of SCs and STs is available from the Expenditure Budget. This gives information about allocations under schemes that aresubstantially meant for SCs/STs, in two parts i.e. Schemes in which there is 100% provision for SCs/STs, and Schemes where at least 20% of the allocation is earmarked for SCs/STs. Planning Commission has

been insisting upon Central Ministries/Departments to properly implement its guidelines regarding SCSP/TSP.

NCSC - At a glance

The Constitution made special provisions to provide safeguards against the exploitation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to promote and protect their social, educational, economic and cultural interests. In this context, Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was designated to investigate all matters relating to the safeguards for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various statutes and to report to the President upon the working of these safeguards with its regional offices in different parts of the country. In 1978, replacing one Member Commission, the Government set up a Multi- Member Commission.

Thus the first Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes was set up in August, 1978 with Shri Bhola Paswan Shastri as Chairman and other four Members. In 1987, the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was renamed as the National for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and it was set up under the Ministry of Welfare's Resolution. The first Commission consisted of Shri Ram Dhan as Chairman, Shri Bandi Oraon as Vice- Chairman and Shri B. Sammaiah, Dr. Sarojini Mahishi, Choudhary Hari Singh, Shri N. Brahma and Shri Jina Bhai Darjee as Members.

The second Commission was constituted on 5.10.95 with Shri Hanumanthappa as Chairman, Smt. Omem Moyong Deori as Vice- Chairman and the Members of the Commission were Shri N.C. Chaturvedi, Shri Anand Mohan Biswas, Ven Lama Lobzang, Shri Narsing Baitha and Shri Jina B. Yadaiah.

The third Commission was constituted in December, 1998 consisting of Shri Dileep Singh Bhuria as Chairman, Shri Kameshwar Paswan as Vice-Chairman and Shri Harinder Singh Khalsa, Ven Lama Lobzang, Shri Chhotray Majhi and Shri M. Kannan as Members. Smt. Venna Nayyar was also appointed as Member. On the resignation of Shri M. Kannan, Shri C. Chellappan was appointed as Member.

The fourth Commission was constituted in March, 2002 consisting of Dr. Bizay Sonkar Shastri as Chairperson, Ven. Lama Chosphel Zotpa as Vice-Chairperson and Shri Vijay Kumar Choudhary, Shri Narayan Singh Kesari and Shri Tapir Gao as Members.

In February, 2004, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was bifurcated in two different Commissions i.e. National

Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes. However, the bifurcation came into effect in December, 2004.

FAQs on SC/ST's Prevention of Atrocities Act, 1989.

Police

Question: *The case has already been booked u/s of IPS. Why Should it be booked again u/s 3 of POA Act, 1989?*

Answer: Because, over and above the provisions of IPC, the SCs and STs (POA) Act, 1989 is focussed, more Punitive with provisions for a graded rehabilitation And monetary relief.

Question: *How could it be presumed that the person in question is a genuine member of SC/ST?*

Answer: Insist on Caste Certificate to be produced within a few hours. But don't deny FIR just because he has not produced caste certificate instantly.

Question: *How can it be established that the motive behind the Incident is reveng/caste feeling?*

Answer: Find out if the victim is known to the accused. Prior knowledge of the victim who belongs to SC/ST, might imply that this prior knowledge about the victim or his family (particularly in villages/small towns) establishes that the accused had prior knowledge about the caste of the victim. Find out if there is any history of past dispute/quarrel/ animosity between the two, or between the two families or between their communities/neighborhood etc. If it could be proved that there was a history of animosity or enmity, then the present dispute could be a result of the past animosity ignited by the present circumstances which could lead to the conclusion that the sole/main or one of the motive of

the present dispute and crime had its roots in caste feeling I bias. This could be immediate or secondary.

Question: *If the accused is already booked under IPC, charge sheeted on the basis of FIR, by default or by ignorance, how can he be booked again under the POA Act?*

Answer: Supplementary charges can be framed under POA Act And facts/reports presented to the court etc. even in course of the trial. If the trial is over, perliaps, nothing can be done.

Question: *If the complaint does not seem to be trustworthy, why should an FIR be recorded that adds to the burden and reflect on the performance of police?*

Answer: - Please don't sit on value judgement, Section 154 Cr.PC does not stipulate presumption on the part of police.

- Supreme Court has allowed the police to be reasonable which does not mean rejection of complaint outrightly without verifying the facts.
- Hold on –verify facts – if found false prima facie – deny FIR, giving reasons on the basis of primary investigation. But act fast.

Question: - *each other What about delay in FIR?*
- *What about delay in investigation?*
-*What can be done when both the parties try to lodge FIR against?*

Answer: Investigate and find the truth.

Victims

Question: *When the SHO/PS-in-charge refuses to lodge FIR, what can be done?*

Answer: Go to the SP and give your complaint in writing.

Question: *If the SP also refuses?*

Answer: Approach the National Commission for SCs and National Commission for STs. This is the provision of the SCs and STs (POA) Rules, 1995

Question: *How to convince the police?*

Answer:
-Show the proof of your caste identity.
-Lodge a written complaint with the police.
-Attach versions of witness(es) supporting your statement duly signed by him/them by affidavit in writing.
-Try to establish the motive with direct and circumstantial evidence.
-Insist on receipt of your complaint duly signed by the duty officer.

Views of Participants of XII Plan Working Group

Shri Prakash Chand, Joint Director, Department of Welfare, Government of NCT of Delhi, Stated that

SCSP funds should be used only for implementing the Schemes meant for SCs and should to be diverted for other purposes.

Shri P.S. Krishan, Retd. Secretary, Government of India.

Scheduled Castes constitute the largest proportion amongst agriculture labour. However, the number of SC land owners was very low. The Report of Governors constituted for the Scheduled Castes also mentioned that there was enough land in this Country for making it available to the SCs.There is a need to have a land bank for the SCs. The largest proportion of casual labour in urban areas belongs to SCs. In order to improve their condition, there is a need to ensure greater ownership of the means of production by them.National Skill Development Initiative should be utilized for the benefit of SCs working as unskilled labours. The problem of untouchability still continues. The disparity/discrimination against SCs is prevalent even in urban areas.Setting up of residential schools for Scheduled Castes should be taken up on a large scale. Right to Education Act, 2005 does not provide a separate reservation quota for SC children in private un-aided institutions. The are clubbed with several other groups in the category "children from disadvantaged groups". This needs to be rectified. The issue of Reservation in private sector for SCs needs to be addressed on priority.

"Thoughts"

"A Great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society"

Dr. B.R. Ambedkar

"The Rich must live more simply so that the Poor may simply live"

Mahatma Gandhi

"A good decision is based on knowledge and not on numbers"

Plato

"Don't worry about temptation. As you grow older, it starts avoiding you"

Old Farmers's Almanac

अनुसूचित जाति विकास – दशा और दिशा

- मांगे राम *

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति के चहुंमुखी विकास के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए । इन लक्ष्यों के आधार पर केन्द्र और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति सम्मान, समानता और न्याय के सिद्धान्तों का समर्थन देने की हमारी सामुहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए । विकास लक्ष्यों को आधार बनाकर सम्पूर्ण देश में सहायता, व्यापार एवं संरक्षा के संदर्भ में विवेचना की जानी चाहिए । अनुसूचित जाति पर अत्याचारों से, शोषण से, कितने लोगों की जानें जा रही हैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है । कितने लोगों को बेघर कर दिया जाता है । एक तरह से यह अनुसूचित जाति का संहार हो रहा है अतः इन जातियों को अधिकतम सहायता दी जानी चाहिए । इन जातियों में एकता की भावना शून्य है । इनका यह विकास भी जरूरी है कि इसमें एकता और सामुहिक प्रयास की भावना को प्रबल किया जाए ।

इन जातियों में गहन गरीबी की दशाओं में जीवनयापन कर रहे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों मजदूरों को आजाद करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए जैसे कि गरीबी के स्तर को नीचे लाना, कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा सुनिश्चित करना, महामारियों से छुटकारा पाना इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए ।

अनुसूचित जाति में बीमारियां एवं मृत्यु में कमी लाकर सभी बच्चों को शिक्षा देकर, जातीय असमानता को कम करके और सतत आर्थिक विकास की आवश्यक दशाओं का सृजन करके इस निर्णायक विनियोग के प्रतिफलों को मापा जा सकता है । विकास सहायता दो समस्याओं से पीड़ित है – दीर्घ स्थायी अल्पवित्तीय एवं अपर्याप्त स्वरूप यद्यपि इन दोनों बिन्दुओं पर अनेक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं । किन्तु, विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपस्थित अन्तरालों को वित्तीयन किया जाना आवश्यक है । इसे रेखांकित किया जाना चाहिए । दूसरा स्तम्भ व्यापार है । उचित दशाओं में व्यापार अनुसूचित जाति के विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन सकता है । इन जातियों के लिए हमें ऐसी दशाएं सृजित करने का संकल्प लेना चाहिए क्योंकि अन्य जातियों की सम्पन्नता में गरीब जातियों और गरीब व्यक्तियों को उचित हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है । जबकि गरीब जातियों और व्यक्तियों को सम्पन्नता में ऊंची हिस्सेदारी देने में व्यापार सहायता से कहीं अधिक समर्थ हैं । ऐसे परिदृश्य में अनुचित व्यापार नीतियां इस क्षमता को सीमित करती है । सम्पन्न जातियों के इस दृष्टिकोण को अनुचित एवं छली करार दिया गया है । तीसरा स्तम्भ संरक्षा है । हिंसात्मक टकराव लाखों लोगों के जीवन को पशु बनाता है – यह मानव अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही विकास लक्ष्यों के प्रतिकूल है । जातियों के टकराव की प्रकृति में परिवर्तन आया है और टकराव शान्ति के अवसरों को समाप्त करते हुए जातीय सीमाओं के पार पहुंच चुका है । जातीय सहयोग द्वारा संरक्षा की भावना विकास की गति को बढ़ाकर विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकती है ।

- अनुसूचित जाति बच्चों की प्रक्षेपित मृत्यु शिशु मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य विफल ।
- प्रतिदिन 26/- रुपए से कम आय पर जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि ।
- बच्चों के स्कूल न जाने की प्रक्षेपित संख्या तक प्राथमिक शिक्षा के शत-प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत ।
- अनुसूचित जाति की गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के लिए सहायता एक प्रभावी हथियार है इसके लिए सहायता को प्रभावी बनाने की तीन शर्तें:

1. अनुसूचित जाति विकास आत्मस्फूर्ति उत्पन्न करने के लिए सहायता का आकार पर्याप्त होना चाहिए ।
2. सहायता कम लागत और मुद्रा आधारित मूल्य पर दी जानी चाहिए ।
3. सहायता पर अनुसूचित जाति का स्वामित्व होना चाहिए ।

उच्च जातियों की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि वे उन दशाओं को उत्पन्न करें जिनमें सहायता के अनुकूलतम परिणाम उत्पन्न हो सके । साथ ही सहायता की प्रकृति बन्धित नहीं होनी चाहिए । बंधित सहायता गरीबी केन्द्रित विकास प्रयासों क लिए सबसे विषण अभिशाप है । बन्धित सहायता का आह्वान करना चाहिए । उच्च जातियों और सरकारों को चाहिए कि वे बजट के अधिकतम प्रतिशत के रूप में प्रदत्त सहायता को बढ़ाएं ।

- जब गरीब का धनी जातियों के साथ व्यापार होता है तो वह व्यापार कठोर होता है ।
- अनुसूचित जाति को प्रगतिशील जातियों का दर्जा दिया जाना चाहिए । इन जातियों में देशी बाजारों में उच्च तकनीकी आधारित व्यापार बढ़ाने में सहायता दी जाए ।

*सहायक निदेशक(राजभाषा)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

गांधी जी का सामाजिक चिंतन

मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के एक अग्रणी महानायक भी थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाति और रंगभेद के खिलाफ जागृति पैदा की । दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर महात्मा गांधी ने अपने यातायात का मुख्य साधन रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे को ही बनाया जिसमें गरीब और अनपढ़ लोग यात्रा करते थे । गांधी जी ने समाज के उत्थान के लिए सर्वोदय की कल्पना की थी जिसके अन्तर्गत जनता के हर वर्ग का उत्थान हो । उन्होंने समाज के विकास के लिए जो विचार दिए थे वे उस समय की परिस्थितियों के अनुरुप थे परन्तु उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है । गांधी जी के अनुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के लोग अपने धर्म और संस्कृति पर चलकर एकता बनाए रखें । एक धर्म या सम्प्रदाय के लोग दूसरे धर्म या सम्प्रदाय से घृणा या द्वेष न रखें । उनका कहना था कि धर्म एवं जातिगत समीकरण के आधार पर देश के लिए सबसे बड़े अभिशाप हैं । देश का आर्थिक, सामाजिक विकास साम्प्रदायिक कूटनीतियों में उलझ कर रह जाता है । गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई । हमारे देश में छुआछूत की दीवारें जो मनुष्य के कद से कहीं ऊंची उठ गई थी, उन्हें गिराने की बात कही । समाज के सबसे निचले तबके को जिसे अछूत कहा जाता था, वहां जाकर वह स्वयं उनके साथ रहे । यहां तक कि उस बस्ती का वह मैला भी ढोते थे। आदर्श की बात करना और आदर्श को जीना दोनों में फर्क होता है । गांधी उच्च जाति के थे फिर भी उनका मानना था कि छुआछूत आज भी एक अभिशाप है । आज उन्हीं के प्रयासों का फल है कि वर्ग भेद काफी हद तक दूर हो गया है परन्तु देश के अनेक भाग ऐसे हैं जहां आज भी छुआछूत पूरी तरह मिट नहीं पाया है । वर्ग भेद तथा छुआछूत को दूर करने संबंधी गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं ।

गांधी जी कुटिर उद्योग धंधों के समर्थक थे । वे भूखे मरने वाले करोड़ों लोगों के आर्थिक हितों को कुचलने वाले मशीनी औद्योगिकीकरण के खिलाफ थे । महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए आजीवन प्रयत्न किया । उनके सतत प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आज के भारत में निम्न जातियों के समान अधिकार प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था है । निम्न जातियों को अपनी दशा सुधारने के लिए स्वाबलम्बी होना चाहिए । इसके लिए शिक्षा का उचित बंदोबस्त होना चाहिए । नौकरी के अतिरिक्त कुटिर उद्योग धंधों को अपनाकर निम्न जातियां अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं । सहकारी संस्थाओं को इसमें सहयोग देना चाहिए । निम्न जातियों को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए । आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । देश में सहकारिता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ऐसा गांधी जी चाहते थे । किसी भी देश के विकास में मजदूर नीम की ईंट की तरह होते हैं । मजदूरों का परिश्रम न हो तो देश की इमारत कैसे बन सकती है । गांधी जी ने स्वयं मजदूरों की झोंपडी में रहकर देखा

था । वे इन्हें देवता स्वरूप मानते थे । आज आवश्यकता है कि मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी दी जाए । बेगारी प्रथा समाप्त हो । बाल मजदूरी प्रतिबंधित हो । मजदूरों के स्वास्थ्य तथा आवास की उचित व्यवस्था की जाए । मजदूरों में जो दुर्व्यवसन है उन्हें सामाजिक अभिशाप समझकर दूर करने का प्रयास किया जाए ।

भारत विभिन्नताओं से भरा देश है । यहां अनेक जातियां, जनजातियां तथा आदिवासी जातियां रहती हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया था । महात्मा गांधी का सपना एक ऐसा भारत था जिसमें गरीब लोग भी यह महसूस करे कि वह उनका देश है जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है । उन्होने कहा था कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करुंगा जिसमें उच्च और निम्न वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदाय में पूरा मेल-जोल होगा । ऐसे भारत में अस्पृश्यता या श्राप और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता । उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों के होंगे । शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा । यह था गांधी जी के सपनों का भारत ।

।। मेरा आसमान ।।

मुझे चाहिए मेरा आसमान,
नहीं चाहिए ये ऊंचे-ऊंचे भवन, ये महल,
नहीं चाहिए ये चार दीवारी का मकान,
चाहिए तो सिर्फ स्वच्छन्द खुला आसमान,
मुझे चाहिए मेरा आसमान ।

नहीं चाहिए ये मानव निर्मित गगनचुम्बी इमारतें,
नहीं चाहिए ये सारा जहां,
चाहिए तो सिर्फ छोटा सा आसमान,
जो मेरा हो, जिसकी साफ स्वच्छ वायु में मैं सांस ले सकूं,
जीवन को जी सकूं आजादी से,
मुझे चाहिए मेरा आसमान ।

नहीं चाहिए ये धन-दौलत, रुतबा,
नहीं चाहिए मोटर-गाड़ियां या वायुयान,
मुझे चाहिए मेरा अपना आसमान
जिसकी ऊंचाई में मैं उड सकूं
आजाद पंछियों की तरह पंख फैलाये,
छू सकूं उस अनन्त ऊंचाई को,

मुझे चाहिए मेरा आसमान ।
नहीं चाहिए सोने-चांदी का पिंजरा,
नहीं चाहिए कोई दुर्ग या किला,
चाहिए तो सिर्फ मेरा प्यारा छोटा सा खुला आसमान,
वह आसमान जिस पर अधिकार है मेरा,
वह आसमान जिस पर स्वतंत्र संसार है मेरा,
जो बन्धन मुक्त है,

जो परिपूर्ण है,
जो निश्चल है, अनन्त है,
मेरा है, मेरा अपना है,
मेरा प्यारा छोटा सा आसमान,
हां मुझे चाहिए मेरा वहीं आसमान ।

सुरेखा, रोहिणी

हंसना जरुरी है –

घोंचू जी ने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी रोने लगी।
घोंचू जी- आदमी उसे ही मारता है जिसे वह प्यार करता है।
पत्नी ने घोंचू जी को जोर से दो थप्पड़ रसीद कर दिए और
बोली- आप क्या समझते हैं, मैं आप से प्यार नहीं करती।

मोनू- चूहे को अगर बिल्ली से प्यार हो जाएगा तो वह कैसे प्रपोज करेगा?
सोनू - बहुत आसान है भाई, चूहा कहेगा, बिल्लो रानी कहो अभी जान दे दूं।

टीचर – (सतीश से) तुमने कुत्ते पर जो लेख लिखा है। वह अजीत के लेख से मिल रहा है। क्या तुमने नकल की है? नहीं सर, दरअसल हम दोनों ने एक ही कुत्ते पर लेख लिखा है।

संत र वदास – एक प्रेरणा–ोत व्यक्ति

संत रविदास उन महान् सन्तों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान कया। इनकी रचनाओं की वशेषता लोक-वाणी का अद्भुत प्रयोग रही है जिससे जनमानस पर इनका अ मट प्रभाव पड़ता है। मधुर एवं सहज संत रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है।

लगभग छः सौ बत्तीस वर्ष पहले भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। उसी समय रविदास जैसे समाज-सुधारक सन्तों का प्रादुर्भाव हुआ। रविदास का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। उनके पता का नाम संतो़ख दास और माता का नाम कर्मा देवी बताया जाता है। रविदास ने साधु-सन्तों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे।.उनकी समयानुपालन की प्रवृति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके सम्पर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे।

रविदास प्रारम्भ से ही बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु-सन्तों की सहायता करने में उनको वशेष आनन्द मलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लये बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता- पता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से अलग कर दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लए एक अलग झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर-भजन तथा साधु-सन्तों के सत्संग में व्यतीत करते थे।

उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन सम्बन्धी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा-स्नान के लए जा रहे थे। रविदास के शष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह कया तो वे बोले, गंगा-स्नान के लए मैं अवश्य चलता कन्तु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? मन जो काम करने के लए अन्तःकरण से तैयार हो वही काम करना उ चत है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगास्नान का पुण्य प्राप्त

हो सकता है। कहा जाता है क इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रच लत हो गयी क - मन चंगा तो कठौती में गंगा।

रविदास ने ऊँच-नीच की भावना तथा ईश्वर-भक्ति के नाम पर कये जाने वाले ववाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मलजुल कर प्रेमपूर्वक रहने का उपदेश दिया।

वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव- वभोर होकर सुनाते थे। उनका वश्वास था क राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के व वध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रन्थों में एक ही परमेश्वर का गुणगान कया गया है।

उनका वश्वास था क ईश्वर की भक्ति के लए सदाचार, परहित-भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अ भमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और वनम्रता तथा शष्टता के गुणों का वकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया।

उनके वचारों का आशय यही है क ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अ भमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है जैसे क वशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है जब क लघु शरीर की पपी लका (चींटी) इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अ भमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर वनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है।

रविदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओत-प्रोत होती थी। इस लए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शक्षा मलती थी जिससे उनकी शंकाओं का सन्तोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे।

उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा क समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गये। कहा जाता है क मीराबाई उनकी भक्ति-भावना से बहुत प्रभा वत हुईं और उनकी शष्या बन गयी थीं।

आज भी सन्त रविदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लए अत्य धक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमा णत कर दिया है क मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। वचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सन्त रैदास को अपने समय के समाज में अत्य धक सम्मान मला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं।

अनमोल वचन

ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें धन के बल पर सिद्व करना असाध्य है। लेकिन जिन्हेंपवित्रता के बल पर सिद्व किया जा सकता है। - विवेकानन्द

एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट आ जाता है,

एक समृद्धि के बाद दूसरी समृद्धि आ जाती है। - कादम्बरी

कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वह डरता है। - अरस्तु

आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं। - सुकरात

काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। - महात्मा गान्धी

दलितोद्धार संबंधी आन्दोलन एवं संगठन

	संस्थापक	वर्ष
भारतीय सेवक समाज -	गोपाल कृष्ण गोखले	1915
अरव्विपुरम आन्दोलन	श्री नारायण गुरू	1888
मंदिर प्रवेश आन्दोलन	श्री नारायण गुरू	19वीं सदी का
	एन. कुमारन आसन आदि	अंतिम दशक
नायर सेवा समाज	मन्नथ पद्मनाभ पिल्लई	1964
सत्य शोधक समाज	ज्यातिबा फुले	1873
बहुजन समाज आन्दोलन	मुकुन्द राव पाटिल	1910
श्री नारायण धर्म परिपालन योगम	श्री नारायण गुरू	1902-03
नामशुद्र आंदोलन	नामशुद्र किसान	-
हरिजन सेवा संघ	महात्मा गांधी	1932
बहिष्कृत हितकारी सभा	डा. बी आर अंबेडकर	1924
समाज समता संघ	डा. बी आर अंबेडकर	1927
महाड सत्याग्रह	डा. बी आर अंबेडकर	1927

क्या आप जानते हैं–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के प्रति अत्याचार के दोषी व्यस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति दण्डनीय अत्याचारों का वर्णन संबंधित अधिनियम की धारा-3 में वर्णित है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सत्र न्यायालयों को 'विशेष न्यायालय" विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार प्रतिषेध) अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार करती है।

देशी मदिरा के विनिर्माण तथा उपभोग संबंधी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं।

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण सुरक्षण :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक सुरक्षणों से संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं:-

अनुच्छेद 46 - जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशे-न सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शो-ाण से उनकी संरक्षा करता है।

अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निनिद्ध है। छुआछूत से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

इस अनुच्छेद को कार्यान्वित करने के लिए, संसद ने एक अधिनियम अर्थात छुआछूत (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया। इस अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सख्त बनाने के लिए, 1976 में अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में पुनर्नामित भी किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार, भारत सरकार ने नियम अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977, इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए, भी अधिसूचित किए। चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के मामले शामिल नहीं थे, संसद ने अत्याचारों को रोकने के लिए विशे-न उपाय करने हेतु 1989 में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनयम, 1989 के रूप में जाना जाता है, जो 30.1.1990 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने, 31.3.1995 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 अधिसूचित किए।

अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम प्रतिनिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का अलग से उल्लेख नहीं है। परंतु चूंकि बहुसंख्यक बँधुआ मज़दूर अनुसूचित जाति के होते हैं, इस अनुच्छेद का अनुसूचित जाति के लिए विशे-न महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा बंधक मज़दूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाया गया। इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए बँधुआ मज़दूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए श्रम मंत्रालय, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है।

अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि चौदह व-र् से कम आयु के किसी बालक को किसी कारख़ाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य ख़तरनाक नियोजन में नहीं लगाया जायगा। बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य क़ानून हैं। यह अनुच्छेद भी अनुसूचित जाति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ख़तरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का बहुमत नहीं, तथापि काफ़ी बड़ा भाग अनुसूचित जाति का है।

अनुच्छेद 25(2) (ख) में प्रावधान है कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिन्दू धार्मिक संस्थायें, हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। यह उपबंध सुसंगत है क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय दावा करते रहे हैं कि उनके सम्प्रदाय विशे-ा के सदस्यों को ही उस सम्प्रदाय के मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार है। परंतु वास्तव में ऐसे मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश रोकने के लिए यह केवल एक बहाना था। इस उपबंध के लिए हिन्दू शब्द में सिक्ख, जैन तथा बौद्ध का भी समावेश है।

उपर्युक्त अनुच्छेद 23,24 तथा 46 के प्रावधान भी अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक सुरक्षणों के अंश हैं।

अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृ-िट से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशे-ा उपबंध बनाने की शक्ति देता है । इस उपबंध ने राज्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए तकनीकी, अभियांत्रिकी तथा कॉलेजों सहित शैक्षिक संस्थाओं और वैज्ञानिक तथा विशि-ट पाठ्यक्रमों में स्थान सुरक्षित करने के, अधिकार दिए।

अनुच्छेद 15(5) राज्यों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए या नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जहां तक ऐसे विशेष प्रावधानों का निजी शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त हों, सहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर, शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश का संबंध है, विधि द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है । यह प्रावधान 20-1-2006 से प्रभावी संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया है ।

अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 330 में लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 332_में राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 334 में मूल रूप में यह व्यवस्था थी कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं की सीटों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान
(और लोक सभा तथा कुछ राज्यों की विधान सभाओं में नामज़दगी द्वारा ऐंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) संविधान के प्रारंभ के दस व-र् की अवधि के अंत पर समाप्त हो जायेगा। इस अनुच्छेद का संशोधन पांच बार किया जा चुका है और प्रत्येक अवसर पर उक्त अवधि को दस व-र् के लिए बढ़ाया गया है। अब यह प्रावधान जनवरी 2010 में समाप्त होगा।

अनुच्छेद 371 क में नागालैंड से संबंधित विशे-ा प्रावधान हैं।
अनुच्छेद 371 ख में असम से संबंधित विशे-ा प्रावधान है।
अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर से संबंधित विशे-ा प्रावधान है।
अनुच्छेद 371 च में सिक्किम से संबंधित विशे-ा प्रावधान है।

अनुच्छेद 16(4) राज्य को,"पिछड़े हुए नागरिको के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16(4क) विनिर्दि-ट करता है कि "इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन उन सेवाओं में किसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी जिनमें राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। "

अनुच्छेद 16(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी वर्ष के भरे न गए रिक्त पदों को, जो खंड (4) अथवा खंड (4क) के अन्तर्गत आरक्षण के लिए किए गए किसी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष भरे जाने के लिए आरक्षित किए गए हों, किसी उत्तरवर्ती वर्ष अथवा वर्षों में भरे जाने के लिए रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में विचार किए जाने से निवारित नहीं करेगी और ऐसी श्रेणी के रिक्त पदों को उस वर्ष के कुल रिक्त पदों की संख्या के आरक्षण की 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने के लिए उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जिस वर्ष वे भरी जा रही हो ।"

अनुच्छेद 320 (4) में प्रावधान है कि खंड़ (3) अनुच्छेद 16(4 क) के अंतर्गत किस प्रकार कोई प्रावधान किया जाये अथवा अनुच्छेद 335 के प्रावधानों में कोई बात, को किस प्रकार लागू किया जाए । इस वि-ाय में, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 335 संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा। बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कोई बात संघ या राज्य के कार्य के संबंध में सेवाओं या पदों के वर्गों या किसी वर्ग में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए मूल्यांकन मानदंडों को निम्नतर करने या किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के पक्ष में कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सचिवालय

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	कार्यालय	पता	निवास
1.	डा0 पी, एल पुनिया, अध्यक्ष	24632298 24620435	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पांचवां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली	
2.	डा. राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष	24690334(फैक्स) 24654105	- वही -	
3	श्री राजू परमार, सदस्य	24624801	- वही -	
4.	श्री एम सिवाना, सदस्य	24623266	- वही -	
5.	श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य	24626061	- वही -	
6.	डा. श्याम अग्रवाल, सचिव	24620308 24694743(फैक्स)	- वही -	
7.	श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव	24635722 24625378(फैक्स)	- वही -	
8.	उपमहानिरीक्षक (रिक्त)	-	-	-
9.	श्री सी. पी. कत्याल, उप सचिव	24635424	- वही -	
10.	श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव			
11.	श्री एस0एन0 मीणा, अवर सचिव	24625748	- वही -	
12.	श्री कौशल कुमार, उप निदेशक	24694365	- वही -	-
13.	श्रीमती आर. लक्ष्मी, सहायक निदेशक	24623959	- वही -	

तारः **ई-मेल पताः** **फैक्स**

कास्टरीकॉम एनसीएससीएसटी @अल्फा.निक.इन 011-24625378
011-24634743
011-24604689

टोल फ्री टेलीफोन नं0: 1800 11 8888 **वेबसाइट नं0:** http://ncsc.nic.in